क्रम-संख्या—78

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 24 मार्च, 2005

चैत्र 03, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 478/सात—वि—1-1(क)13-2005

लखनऊ, 24 मार्च, 2005

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 23 मार्च, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2005

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2005)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2000 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में,—

(क) खण्ड (ग) में, उपखण्ड (छ:) के पश्चात निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(सात) संसद या राज्य विधान-मण्डल के किसी अधिनियम के अधीन कोई अन्य स्थानीय प्राधिकारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय;"

(ख) विद्यमान खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :–

"(ङ) 'माल का मूल्य' का तात्पर्य मूल क्रय बीजक या बिल से यथा अभिनिश्चित किसी माल के मूल्य से है' और उसके अन्तर्गत पैकिंग सामग्री का मूल्य, पैकिंग और प्रेषण प्रभार, बीमा प्रभार, उत्पाद-शुल्क, प्रतिशुल्क, सीमा-शुल्क और तत्समान अन्य शुल्क के रूप में धनराशियाँ, किसी फीस या कर प्रभार, परिवहन प्रभार, मालभाड़ा प्रभार और किसी अन्य प्रभार की धनराशियाँ भी हैं जो ऐसे माल के ऐसे स्थानीय क्षेत्र में क्रय या परिवहन से सम्बन्धित हों जिसमें माल को उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिये लाया या प्राप्त किया जा रहा हो :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ कोई माल,–

(एक) क्रय किया गया हो और किसी दस्तावेज के उपलब्ध न होने या प्रस्तुत न किये जाने के कारण उसका मूल्य अभिनिश्चेय न हो; या

(दो) क्रय किया गया हो और किसी दस्तावेज के उपलब्ध न होने या प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यापारी या प्रभारी व्यक्ति द्वारा घोषित मूल्य सत्यापनीय न हो; या

(तीन) क्रय किया गया हो और क्रय-मूल्य या परिवहन प्रभारों और अन्य प्रभारों के समर्थन में प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज विश्वास-योग्य न हो; या

(चार) क्रय से भिन्न प्रकार से अर्जित या प्राप्त किया गया हो;

वहां 'माल का मूल्य' का तात्पर्य ऐसे मूल्य या कीमत से होगा जिस पर उसी प्रकार के या उसी गुणवत्ता के माल उस स्थानीय क्षेत्र में, जिसमें माल उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिये लाये या प्राप्त किये जा रहे हों, खुले बाजार में थोक कीमत पर विक्रय किये जाते हों या विक्रय किये जाने योग्य हों।

स्पष्टीकरण :– इस खण्ड के अधीन किसी माल के थोक कीमत को अभिनिश्चित किये जाने के प्रयोजन के लिये थोक कीमत के अन्तर्गत क्रेता द्वारा उत्पाद-शुल्क या किसी अन्य शुल्क के रूप में भुगतान की गयी या देय कोई धनराशि भी होगी किन्तु उसके अन्तर्गत स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश के पश्चात माल के सम्बन्ध में किये गये किसी कार्य के निमित्त ली गई कोई धनराशि या उसी प्रकार के या उसी गुणवत्ता के माल के विक्रय के सम्बन्ध में देय फीस या कर की, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन देय कर भी है कोई धनराशि नहीं होगी।"

धारा 4 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 4 के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"स्पष्टीकरण:–शंकाओं के निराकरण के लिये एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी स्थानीय क्षेत्र या स्थान के सम्बन्ध में पद 'उत्तर प्रदेश से बाहर' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर स्थित किसी स्थान से होगा, चाहे वह भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर हो या उसके भीतर।"

उद्देश्य और कारण

भविष्य में कर के उद्ग्रहण और संग्रह में विवाद से बचने के लिए संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियमों के अधीन सृजित अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के प्रादेशिक क्षेत्र को स्थानीय क्षेत्र की परिभाषा में सम्मिलित करने के लिए और कर की धनराशि के सुगम अवधारण के लिए "माल का मूल्य" और पद "उत्तर प्रदेश के बाहर" को भी स्पष्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्म वीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 478(2)/VII-V-1-1(Ka)13-2005

Dated Lucknow March 24, 2005

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mal Ke Pravesh Par Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 2005) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on. March 23, 2005 :

THE UTTAR PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS (AMENDMENT) Act, 2005

(U.P. Act no. 10 of 2005)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Act, 2000

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods (Amendment) Act, 2005.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 12 of 2000

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Act, 2000, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1),–

(a) in clause (c), *after* sub-clause (vi) the following sub-clause shall be *inserted*, namely:–

"(vii) any other local authority by whatsoever name called under an Act of the Parliament or the State Legislature;";

(b) *for* the existing clause (e) the following clause shall be *substituted*, namely:–

"(e) 'Value of goods' means the value of any goods as ascertained from original purchase invoice or bill and includes value of packing material, packing and forwarding charges, insurance charges, amounts representing excise duty, countervailing duty, customs duty and other like duties, amount of any fee or tax charged, transport charges, freight charges and any other charges relating to purchase and transportation of such goods into the local area in which goods are being brought or received for consumption, use or sale therein :

Provided that where any goods have been,–

(i) purchased and the value thereof is not ascertainable on account of non availability or non production of any document; or

(ii) purchased and the value declared by the dealer or the person incharge is not verifiable on account of non-availability or non-production of any document; or

(iii) purchased and a document produced in support of purchase price or transport charges and other charges, is not worthy of credence; or

(iv) acquired or obtained otherwise than by way of purchase,

the 'value of goods' shall mean the value or the price at which the goods of the like kind or like quality is sold or is capable of being sold at whole-sale price in the open market in the local area in which goods are being brought or received for consumption, use or sale.

Explanation: For the purpose of ascertaining whole-sale price of any goods under this clause the whole sale price shall include any amount paid or payable by the purchaser as excise duty or any other duty but shall not include any amount charged for anything done to the goods after entry of goods into the local area or any amount of fee or tax including tax under this Act payable in respect of sale of the goods of the like kind or like quality."

Amendment of section 4.

3. In section 4 of the principal Act, the following explanation shall be *inserted* at the end namely:–

"*Explanation*-For the removal of doubt it is hereby clarified that in relation to a local area or place the expression 'outside Uttar Pradesh' shall mean a place situate outside the State of Uttar Pradesh whether it is within the territory of India or outside thereof."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It has been decided to amend the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Act, 2000 to include the territorial area of the other local authorities created under the Acts of the Parliament or the State Legislature in the definition of local area to avoid dispute in the levy and collection of tax in future and also to clarify the "Value of goods" and the expression "outside Uttar Pradesh" for the easy determination of the amount of tax.

The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods (Amendment) Bill 2005 is introduced accordingly.

By order,
D.V. SHARMA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 975 राजपत्र (हि0)–2005–(2437)–597–प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।